



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276484
CG-DL-E-24092026-276484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5050]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5050]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

का.आ. 5257(अ).— राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद् द्वारा सुश्री निवेदिता सुब्रमण्यन और सुश्री अर्चना मिश्रा को पद भार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि, या 65 वर्ष की आयु होने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्यों के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. प्रशा.-20/20/2024-एनसीडब्ल्यू प्रशा]

प्रीतम बी. यशवंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

S.O. 5257(E).— In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby nominates Ms. Nivedida Subramanian and Ms. Archana Mishra as Members in the National Commission for Women (NCW) for a period of three years from the date of assumption of charge of the post, or till the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. Adm-20/20/2024-NCW ADMN]

PREETAM B. YASHVANT, Jt. Secy.